

तारीख हुआ

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम की तालिका में जारी हुए

आदेश

तरसीलवार खण्डेला विवादित भूमियों अवस्थित तन ग्राम शाहपूत २५० नं० 633, 634, 635, 636 कब्जा 4.30 हे० का विवादित पत्रणाटन को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में स्वयं गिरीश का विवादित पत्रणाटन का वर्तमान कब्जा नारत अनुसार एवं "वाई मीटिंग एण्ड काउन्सिल" के आचार पर प्रथम-पृथक लगातार जायम करते हुए, मिन कंडेरा नम्बर डालकर नक्ला ट्रेस में तस्वीर करते हुए विस्तृत विभाजन उत्तर तैयार करवाये। वास्तु प्राप्त होने विस्तृत विभाजन उत्तर पत्रावली दिनांक 28/05/18 को पेश हो।



गनीरथ शर्मा
(RAS)
जलधर कलक्टर
(नारत हेतु खण्डेला)

28/5/18

पत्रावली पेश हुई। नकलाव परिलेख
उप/उपस्थित। पीठासीन अधिकारी कोरे
/कम्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम
अर्धवर्षी हेतु दिनांक 13-6-18
को पेश हो।

13/6/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान :
न्याय आपके द्वार - 2018 के तहत कंप्यूटर
अटल सेवा केन्द्र ठिकरिया में पेश हुई। तरसील
द्वारा खण्डेला से प्राप्त विस्तृत विभाजन उत्तर
को अभिलेख पर लिया जाता है। कमील बर्दी
ने उपस्थित होकर विस्तृत विभाजन उत्तर से



हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

सहमति जाहीर करते हुए मुताबिल विलत विभा-
जन उस्ताव मुताबिल अलिम डिफ्री जारी किये
जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड व
जालिम डिफ्री की पलना में प्राप्त विलत
विभाजन उस्ताव का अवलीकत किया गया
यूकी वकील वादी विलत विभाजन उस्ताव से
सहमत हैं। अतः वादी का वाद मुताबिल
विलत विभाजन उस्ताव अंतिम लपेण डिफ्री
किया जाता है। विलत विभाजन उस्ताव
अंतिम डिफ्री का भाग रहेगा। मुताबिल
विलत विभाजन उस्ताव राजस्व रेकॉर्ड में
अमल दापद हो तथा तदनुसार उल्लेख में
पर्या डिफ्री जारी हो। पत्रावली फेलत शुभा
होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तलमिल
नाखिल दफतर हो। निर्णय मजमें उताम
पुनथा गया।

21/6/23
भागीरथ शाख
(RAS)
सहायक कलक्टर
(आर.एस. ट्रेको) खण्डेला

11

वस
R
AY

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाह, RAS

उनवान कामला * बनाम * सुन्दर *

दावा बाबत तलाक़ा न ल्याई निषेधाता

मुकदमा नम्बर :- 34/2018

निर्णय दिनांक :- 13/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाह, RAS व हाजिरी


मिनजानिब मुददई रुबरु श्री मन्नालाम
मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वकील का वाद मुताबिक विल्ट विलाजत उस्ताव अतिम नपेण
डिक्री किया जाता है। विल्ट विलाजत उस्ताव अतिम डिक्री
का भाग होगा। मुताबिक विल्ट विलाजत उस्ताव टाजन्व
रेकोर्ड में उमल दामद छ।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 13/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




श्री भागीरथ शाह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला (सीकर)

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4 रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6 कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़

※ मूनिमां पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी शाहपुरा
तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.

- वारी

वनाम

※ पुत्र बीरबल

② मीना देवी पुत्री बीरबल

③ श्यामलाल पुत्र किराना

समस्त जाति जाट निवासी शाहपुरा तहसील खण्डेला
जिला सीकर राज.



④ मंजव नैरानल वॉक शाखा कावडी जामि मंत्रीजर

⑤ भूमिघारी तहसीलदार खण्डेला

- प्रतिवासीगण


राजीव सिंघ
(RAS)
जिलाधिकारी कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला